कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी, अनुभागहरसूद
जिला खण्डवा, (म0प्र0)

क्रमांक/ 1460 /भू–अर्जन/2018

हरसूद, दिनांक 2/7/18 /06/2018

प्रति,

नियंत्रक,
केन्द्रीय मुद्रणालय
म.प्र. भोपाल

विषय :– भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का **अधिकार अधिनियम 2013** की धारा 19 के अन्तर्गत घोषणा का राजपत्र में प्रकाशन विषयक ।

––00––

राजस्व **प्रकरण क्रमांक 03/अ.82/2017–18 में ग्राम** बाराकुण्ड तहसील खालवा, जिला खण्डवा की निजी भूमि क्षेत्रफल 193.261 हेक्टर के भू–अर्जन हेतु, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक–30, सन् 2013) की धारा–19 के तहत कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव म0प्र0 शासन राजस्व विभाग जिला खण्डवा द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा की दो प्रतियां संलग्न प्रेषित है।

अतः कृपया उक्त घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में करवाकर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्न :– 02 प्रतियां।

(जगदीश मेहरा)
अनु–विभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन
अधिकारी, हरसूद जिला खण्डवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक/ 1461 /भू–अर्जन/2018

हरसूद, दिनांक 2/7/18 /6/2018

प्रतिलिपि :–

1– संचालक, जन संपर्क संचनालय म0प्र0 की ओर अधिसूचना की चार प्रतियॉं संलग्न कर इस क्षेत्र में पढे जाने वाले दो बहु प्रसारित दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित । दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन उपरांत समाचार पत्रों की दो प्रतियॉं इस कार्यालय एवं कार्यालय कलेक्टर खंडवा को प्रेषित करने का कष्ट करें।

2– कलेक्टर महोदय, (भू–अर्जन शाखा) जिला खण्डवा की ओर अधिसूचना की प्रति सहित सादर सूचनार्थ प्रेषित।

3– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला सूचना केन्द्र कलेक्टोरेट खण्डवा की ओर संलग्न अधिसूचना को समुचित सरकार की वेबसाईड पर अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित ।

4– तहसीलदार, खालवा की ओर 06 प्रतियॉं संलग्न कर एक प्रति स्वयं के कार्यालय के सूचना पटल, उक्त अधिसूचना का प्रकाशन उपखंड कार्यालय/तहसील/जनपद पंचायत कार्यालय, संबंधित ग्राम एवं ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा किया जाकर तामिली इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रेषित ।

5– कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

6– जिला नाजिर कलेक्टोरेट खण्डवा की ओर जिला कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा किए जाने हेतु प्रेषित।

अनु–विभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन
अधिकारी, हरसूद जिला खण्डवा (म0प्र0)

कार्यालय कलेक्टर एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जिला खण्डवा

नस्ती क्र0 102 एलए./2017 /10113 खण्डवा,दिनांक 30/06 /2018
भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-- 03/अ-82/17-18

//उद्घोषणा//

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम ,2013 की धारा 15 (1) के अन्तर्गत, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (2) के अन्तर्गत रिर्पोट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) मे उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिपेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

//अनुसूची//

1) भूमि का वर्णनः-

(क) जिला : खण्डवा
(ख) तहसील : खालवा
(ग) ग्राम : बाराकुण्ड
(घ) अर्जित रकबा : 193.261 हेक्टर

खसरा कमांक	अर्जित रकबा	खसरा कमांक	अर्जित रकबा	खसरा कमांक	अर्जित रकबा	खसरा कमांक	अर्जित रकबा
2	0.420	7/2	0.180	75/3	0.750	10	0.800
3/1	0.300	7/3	0.190	76	4.000	11	2.630
3/2	1.000	73/1	0.250	75/4	0.550	13	0.870
3/3	1.120	74/1	0.350	8/1	0.180	14	0.250
3/4	0.100	75/1	0.360	8/2	0.170	12/1	1.600
4	0.330	73/2	0.400	8/3	0.140	12/2	1.600
5	0.140	74/2	0.400	8/4	0.130	12/3	0.080
6/1	1.430	75/2	0.360	9/1	1.050	15/1	4.000
6/2	0.500	73/3	0.650	9/2	2.000	16	0.980
7/1	0.090	74/3	0.360	9/3	1.600	15/2	1.000

खसरा कमांक	अर्जित रकबा	खसरा कमांक	अर्जित रकबा	खसरा कमांक	अर्जित रकबा	खसरा कमांक	अर्जित रकबा
15/3	2.000	31/4	0.800	53	0.042	79/4	0.420
15/4	1.000	31/5	1.300	54	0.570	67/4	0.580
17	0.570	32/1	1.160	55/1	0.440	79/5	0.500
21	3.360	32/2	1.160	324	0.730	70/1	0.400
18	0.960	32/3	1.180	325	1.530	70/2	0.400
19	0.990	34/2	0.180	56	0.650	71/1	0.570
20	1.780	35/2	0.910	57/1	0.830	70/3	0.400
25	1.600	36	1.990	58/1	1.940	71/2	0.560
26	1.460	241	0.020	59/1	0.800	70/4	1.400
22/1	1.970	37	1.860	57/2	0.800	71/3	0.100
22/2	1.570	38	1.860	58/2	1.000	78/2	0.470
23/1	1.910	39	1.220	59/2/1	0.800	79/2	0.420
23/2	2.000	41/1	1.320	59/2/2	0.800	80	0.300
24	0.880	46	0.160	60	2.420	87	0.850
34/1	0.230	41/2	0.800	61/1	0.800	79/3	0.500
35/1	4.390	41/3	0.800	62/2	0.360	82	0.670
27	2.770	45	0.250	61/2	3.230	85	0.950
40	1.220	47	0.190	62/1	0.350	83	0.220
43	0.090	48	0.710	64/1	0.800	84/1	1.200
44	0.150	49	1.250	65/1	0.400	84/2	1.080
55/2	0.400	50	0.200	64/2	0.810	84/3	0.420
28/2	0.920	51	0.770	65/2	0.420	86/1	0.650
30/2	0.800	327/3	0.840	66	1.950	86/2	0.100
28/3	0.880	52/5	0.010	67/1	0.170	90	1.010
30/3	0.860	327/4	0.850	78/1	0.300	112/1	0.170
29	0.830	52/4	0.010	68	0.420	88/1	1.590
30/1	0.790	327/1	0.800	79/1	0.300	88/2	2.300
28/1	0.960	52/3	0.020	67/2	0.600	88/3	0.330
31/1	0.260	327/5	0.800	78/3	0.220	89	0.470
31/2	0.980	52/2	0.010	67/3	0.600	91	0.420
31/3	1.600	52/1	0.010	78/4	0.180	92	1.300

खसरा कमांक	अर्जित रकबा	खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा	खसरा कमांक	अर्जित रकबा	खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा
110	0.580	113/2	0.400	254	0.030	327/2	0.800
111	0.240	114	2.200	258	0.005	328	0.400
93	1.420	115/1	0.060	251	0.020	330	0.960
94	1.570	202	0.290	252	0.030	329	0.960
95/2	0.060	220/3	0.030	253	0.040	358	1.770
95/1	1.000	204	0.120	314	0.020	331	0.410
96	1.330	205/2	0.420	336	0.860	356/1	0.390
97	1.540	220/1	0.170	315	0.800	332	0.460
98	1.170	220/4	0.070	316/1	0.500	334	0.430
99	0.770	220/2	0.030	317/2	0.310	355	0.190
100	1.070	228	0.050	316/2	0.320	356/2	0.730
101	1.810	229	0.150	317/1	0.800	333	0.560
102	0.840	236	0.024	318/1	1.220	357	0.350
103	2.550	237/1	0.450	318/2	1.230	335	1.000
104	1.690	238/1	0.570	319	0.560	337	0.370
105/1	0.050	237/2	0.100	321/1	0.310	339	0.120
105/2	0.170	238/2	0.008	321/2	0.700	338/1	0.130
107	0.010	240	0.020	321/3	0.500	338/2	0.060
109/1	0.280	242	0.020	323/1	2.950	338/3	0.060
109/2	0.400	243	0.100	323/2	1.300	340	0.260
113/1	0.470	250	0.030	323/3	1.000	360	0.220

खसरा कमांक	अर्जित रकबा	खसरा कमांक	अर्जित रकबा	खसरा कमांक	अर्जित रकबा	खसरा कमांक	अर्जित रकबा
361	0.010	353	0.110	367	0.094	365	0.020
351	0.170	364	0.008	368	0.240	366	1.200

योग **193.261**

2) सार्वजनिक प्रायोजन **जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है, आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु।**

3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी, हरसूद तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय मे किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(विशेष गढ़पाले)

कलेक्टर एवं समुचित सरकार

मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जिला खण्डवा